(45)

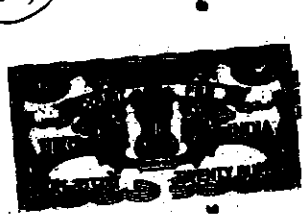

1

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–शिवपुरी R 619-II-17

श्री .... द्वारा आज दि. 08·2·17 को प्रस्तुत

8-2-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जसरथ पुत्र श्री रामसेवक कुर्मी, निवासी टकटकी, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.) — आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन,
2– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर छतरपुर
3 .... पुत्र गनेशा .... अनावेदकगण
निवासी ....

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला–शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/2016–17 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25.01.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

Delete 3
08/2/17

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम टकटकी में कथित भूमि सर्वे क्रमांक 487 मिन में से 01.00 हेक्टेयर भूमि का व्यवस्थापन नायब तहसीलदार करैरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 62/96–97/अ–19 से अनावेदक क्रमांक 2 के हित में किया गया था। यह व्यवस्थापन चोरी छिपे आवेदक के पीठ–पीछे कार्यवाही कर किया गया था, तहसील न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में न तो इस्तहार जारी किया और न ही आपत्तियां आमंत्रित की गई। राजस्व निरीक्षक के एकपक्षीय प्रतिवेदन को आधार बनाकर अनावेदक क्रमांक 2 के हित में व्यवस्थापन किया गया था प्रकरण में आवेदक को कोई सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया जबकि आवेदक का विवादित भूमि पर विगत दस–पन्द्रह वर्षो से कब्जा कास्त करके निरन्तर चला आ रहा था अतः ऐसी स्थिति में व्यवस्थापन किये जाने से पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था। इस वैधानिक बिन्दु पर विचार किये बिना एवं प्रकरण में विधिवत् कार्यवाही सम्पादित किये बिना जो व्यवस्थापन अनावेदक क्रमांक 2 को प्रदान किया गया था, वह नितान्त, अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

XXXIX(a)-BR (H)-11 राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

जिला शिवपुरी

प्रकरण कमांक 619-एक/17 निगरानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह०
4-10-17	यह निगरानी अपर कलेक्टर शिवपुरी के प्रकरण कमांक 1/16-17 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-1-17 के विरुद्ध म0प्र0भू0 राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा अपर कलेक्टर शिवपुरी के आदेश दिनांक 25-1-17 का अवलोकन किया गया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अपर कलेक्टर शिवपुरी ने तत्का. कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-12-2002 को आधार मानकर आवेदक की निगरानी निरस्त की है जबकि आवेदक ने कलेक्टर के समक्ष किसी प्रकार की निगरानी नहीं थी, अपितु कलेक्टर के समक्ष निगरानीकर्ता कोई अन्य रहा होगा, इसलिये अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया जावे। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 25-1-17 में आये तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार करैरा द्वारा प्रकरण कमांक 62अ-19/96-97 से मनीराम के हित में किये गये भूमि व्यवस्थापन आदेश के विरुद्ध अन्य ग्रामीण ने कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष निगरानी कमांक 2/2001-02 प्रस्तुत की थी एंव कलेक्टर शिवपुरी ने नायब तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश को समुचित पाते हेतु आदेश दिनांक 23-12-2002 से निगरानी निरस्त की है और जब नायब तहसीलदार करैरा द्वारा प्रकरण कमांक 62 अ-19/96-97 में किया गया भूमि व्यवस्थापन जांच एंव सुनवाई में सही पाया गया है तब ऐसे व्यवस्थापन आदेश को अपर कलेक्टर ने आवेदक द्वारा की गई निगरानी में अनुचित नहीं पाने के कारण निगरानी निरस्त की है जिसके कारण राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी व्यर्थ होने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	

... एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।